शोध मंथन, 2018 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 40908

भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति– एक अवलोकन

डॉ० श्वेता राय
छात्रा (शिक्षाशास्त्र)

सारांश

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सरकार संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर ही 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। बावजूद इसके देश की 61 फीसदी महिलाएँ आज भी निरक्षर हैं। सरकार की नई शिक्षा नीति यह स्वीकार करती है कि शिक्षा ही महिलाओं में समानता ला सकती है लेकिन इसमें पाठ्यक्रम सुधार कार्यक्रम और महिलाओं के नामांकन में सुधार की आवश्यकता है।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः
डॉ० श्वेता राय

भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति – एक अवलोकन

शोध मंथन, मार्च 2018,
पेज सं0 103–111

Article No. 16
http://anubooks.com
?page_id=581

डॉ० श्वेता राय

भूमिका

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक अहम् भूमिका निभाती है।

ब्रिटिश शासन काल में एक ओर भारत को बहुत कुछ खोना पड़ा। रूप से आर्थिक क्षेत्र में भारत को कंगाल ही कर दिया परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजों की बदौलत भारत विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सका। विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ उनकी शिक्षा की ओर समुचित ध्यान दिया गया। अनेक अंग्रेज महिलाओं ने इसमें विशेष भूमिका निभाई जिनमें श्रीमति व्हीलर, श्रीमति ब्रैन्डर व कुमारी ब्रूक के नाम प्रमुख हैं। भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर जिस भारतीय महिला ने ध्यान दिया उनमें पंडिता रामाबाई का नाम सर्वमुख है इनके अतिरिक्त सरला देवी घोषाल भी स्त्री शिक्षा और सुधार के विषय में एक महत्वपूर्ण नाम है। स्वतंत्रता आन्दोलन में मैडम कामा, ऐनीबेसेण्ट, सरोजनी नायडू आदि के प्रवेश ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में नयी क्रान्ति ला दी। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे राष्ट्र ने महिलाओं की शिक्षा में संतोषजनक उन्नति की है। यह उन्नति विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों तथा सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करती हुई महिलाओं के रूप में परिलक्षित होती है। महिला शिक्षा पर जोर देते हुए पं0 नेहरू ने कहा था कि, ''जन जागरण के लिए महिलाओं को जाग्रत किया जाना चाहिए'' अगर वह जाग्रत है तो परिवार गाँव और राष्ट्र गतिशील हो उठता है। इसी युग में महिलाओं के लिए मद्रास में 1914 में एक पृथक महाविद्यालय की स्थापना की गई इसे आज क्वीन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1930 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा कोच संघ की स्थापना की गई। इसी के प्रयासों के परिणामस्वरूप नई दिल्ली में 1932 में लेडी इरविन होम साइंस कालेज की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा पर जोर देते हुए गाँधी जी ने कहा था–यदि हम एक पुरुष को शिक्षा देते हैं, तो केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के प्रयास

विश्वविद्यालय आयोग ने 1948 में महिलाओं की शिक्षा के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ की थीं –

1. महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसरों में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए बल्कि उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए।
2. पुरुषों के महाविद्यालय में पढ़ने वाली महिलाओं समान सुविधाएँ और सम्मान दिया जाना चाहिए।
3. जहाँ नए महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं वो सही अर्थों में सह शिक्षा विद्यालय होने चाहिए और इनमें महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. महिला शिक्षिकाओं को पुरुषों के समान वेतन दिया जाना चाहिए।
5. महिलाओं और विश्वविद्यालयों के विभाग में पुरुषों के साथ–साथ महिला कर्मचारी भी होनी चाहिए। इसी वर्ष राष्ट्रीय महिला परिषद् का गठन भी किया गया।

यह आलम तो तब है, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही गोपालकृष्ण गोखले ने सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का विधेयक पेश किया था। तब से लेकर आज तक समय–समय पर तमाम शिक्षा आयोग गठित

होते रहें। मसलन डॉ डीएस कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपने सर्वेक्षण में शैक्षित असमानता के कारण गिनाए थे, उसके मुताबिक देश के विभिन्न भागों में भीषण गरीबी, स्कूल–कालेजों में शैक्षिक स्तर पर व्यापक विषमता, घरेलू वातावरण की भिन्नता और सामाजिक परिस्थितयाँ मुख्य थे। ज्यादातर लड़कियों के किशोरावस्था में पहुंचने पर घर से बाहर आने जाने पर सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ऐसी लड़कियों की भी कमी नहीं है, जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। दूसरे स्कूल या कालेज इतनी दूर होते हैं कि या तो वहां लोग सयानी लड़कियों को अकेले भेजना नहीं चाहते अथवा यदि भेजने के लिए तैयार भी होते हैं, तो आने–जाने को कोई उचित साधन नहीं मिल पाता है जिससे लड़कियों की पढ़ाई पर पूर्णविराम लग जाता है।

महिला शिक्षा में द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में महिला विद्यार्थियों के अनुपात में वृद्धि करने के लिए कुछ सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं जिससे विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित महिलाओं की कमी पूरी की जा सके। इसके अतिरिक्त महिलाओं की विशेष अभिरूचि के पाठ्यक्रम जैसे गृह विज्ञान, संगीत, चित्रकला और नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों की संस्तुति की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला महाविद्यालय और महिला छात्रावासों को उदार सहायता प्रदान की जिसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी बनाये रखा गया इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य कन्याओं की शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार तथा वर्षवार इसका मूल्यांकन तथा महिला शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावकता पर नजर रखना था। दोनों योजनाओं में महिला विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई। विधवाओं की शिक्षा के लिए कई छात्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध कराई गयीं। आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई, पिछड़े वर्ग की महिलाओं, दलित जातियों और अनुसूचित जातियों को विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के माध्यम से एक सुख भविष्य सुनिश्चित किया गया। ऐसे समुदायों की अधिकांश महिलाओं ने इस छात्रवृत्ति का लाभ 1981–90 का दशक प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर कुछ सुधार दर्शाता है।

निम्नलिखित आँकड़ों से सम्पूर्ण भारत की शिक्षा के क्षेत्र में दशकवार प्रगति स्पष्ट है –

साक्षरता प्रगति–अखिल भारत 1991–2001

वर्ष	कुल पुरुष जनसंख्या में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत	दशकवार प्रगति	कुल महिला जनसंख्या में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत	विकास दर	साक्षरों का यौन अनुपात
1971	39.43	43.78	18.71	79.29	44
1981	46.89	43.99	24.82	61.35	494
1991	63.88	उ0न0	39.42	उ0न0	उ0न0
2001	67.84	43.99	40.42	65.30	541

महिलाओं की प्राकार्यात्मक साक्षरता (कृषि और बाल विकास) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और हाल का ही राष्ट्रीय साक्षरता संकल्प के कार्यक्रम सफल नहीं हो पाये इसके कई कारण हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं –

1. प्रौढ़ साक्षरता अभ्रिपेरणा का अभाव है क्योंकि महिलाएँ गृह कार्यों में ही अत्याधिक व्यस्त रहती हैं।
2. साक्षरता कार्यक्रम में बच्चों की देखरेख की कोई सुविधा नहीं है इसलिए महिलाएँ साक्षरता कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकतीं।
3. विशेषकर महिलाओं की आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय, शोषण और भेदभाव का होना।
4. शिक्षा की सामग्री का वर्तमान आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रासंगिक न होना।
5. व्यापक स्तर पर चलाये जाने वाले साक्षरता कार्यक्रमों के लिए वित्त का अभाव।

बालिकाएँ पाठशालाओं को क्यों छोड़ देती है? और लगातार पाठशालाएँ क्यों नहीं जातीं? इसका मुख्य कारण है कि झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाली बड़ी बालिकाएँ घर में ही अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करती हैं। यही बाधा माँओं और स्कूल छोड़ने वाली महिलाओं के साक्षरता कक्षाओं में न आने का भी कारण है। महिला शिक्षिकाओं की कमी, सस्ते और सुरक्षित छात्रावासों की कमी भी महिलाओं के उच्च शिक्षा प्रवेश की बाधाएँ हैं। इन बाधाओं को दूर करने के कई कदम उठाये गये हैं जैसे शिशु गृहों, बालवाडिओ और बालिकाओं के लिए आँगनवाड़ियों का प्रबन्ध किया गया है, शिक्षा केन्द्रों के अन्दर और बाहर शहरी केन्द्रों में महिला छात्रावास की स्थापना की गई।

भारत सरकार की नवशिक्षा नीति यह मानती है कि महिलाओं के नामांकन के लिए पाठ्यक्रम सुधार कार्यक्रम और प्रलोभन आवश्यक है इसके लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं जैसे मध्यान्ह भोजन, दिवस देखरेख केन्द्र, पाठशाला पूर्व की शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा इसके अतिरिक्त महिलाओं में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई पॉलिटेक्निक्स खोले गये हैं तथा गैर परंपरागत पाठ्यक्रम जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल टेक्नोलॉजी, कामर्शियल आर्ट, भोजन संरक्षण इत्यादि पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा के लिए पृथक संस्थाओं की स्थापना का सुझाव नहीं दिया गया है। लेकिन महिला महाविद्यालय की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों–साक्षरता प्रसार और प्रारम्भिक शिक्षा के प्रोत्साहन के सार्वभौमीकरण का प्राथमिकता दी गई है।

महिला शिक्षा प्रोत्साहन के प्रयास :

महिला शिक्षा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं–हमारी मूल व्यवस्था में महिलाओं की शिक्षा के विरूद्ध लिंग भेदभाव समाप्त करना, पाठ्शाला पुस्तकों में महिलाओं के विरूद्ध की गई टीका टिप्पणियों को हटाना, अध्यापकां को लिंग समानता का दृष्टिकोण देना तथा उच्च शिक्षा के शोध और शिक्षण पहलू में महिलाओं के प्रकरणों और योगदान को स्थान देना। इसलिए शिक्षा, शोध प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् (एन0सी0ई0आर0टी0) ने अध्यापक प्रशिक्षण को इसी परिप्रेक्ष्य में लाने का प्रयास किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुच्छेद 4.2 और अध्याय 12 के अधीन एक कार्ययोजना जिसे महिला समाख्या कहा जाता है, सितम्बर 1988 में लागू हुई। यह योजना भारतदृनीदरलैंड परियोजना है जिसे नीदरलैंड की सरकार द्वारा वित्तीय सहायता महिला समाख्या समीतियों को दी जाती है। इसका उद्देश्य गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 2000 गाँवों में महिला गतिविधि केन्द्रों की स्थापना करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव में कुछ महिलाओं को प्रेरक का प्रशिक्षण देना था जिससे महिलाओं की विविध समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, जल, ईंधन, चारा और शिक्षा और इससे भी अधिक उनके स्वयं के व्यक्तित्व और समाज में उनकी छवि जैसी समस्याओं पर विवाद समन्वित करना है। परिसरीय संस्थाओं में 100 महिलाओं को छात्रावास सुविधा दी गई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिलाओं और लड़कियों को लघुकालीन और दीर्घकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम सिखाये गये। यह कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा है।

महिलाओं में शिक्षा के प्रचार और प्रसार को दर्शाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसकी क्रमबद्ध व्याख्या की जाये। जैसा कि विदित है कि मानव संसाधनों में आधा भाग महिलाओं का है आज वे बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा, विधि, विज्ञान, वाणिज्य, औषधि, अभियांत्रिकी इत्यादि क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। भारत सरकार का विज्ञान और तकनीकी विभाग महिलाओंके स्तर और जीवन को ऊँचा उठाने के लिए तथा कार्य की एकरसता को समाप्त करने के लिए, उन्हें आय बढ़ाने स्वास्थ्य में सुधार करने, स्वच्छता और सफाई, पर्यावरण प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में प्रोत्साहित कर रही है। विभाग द्वारा उठाये गये कदमों में ईंधन और भोजन बनाने की व्यवस्था परियोजनाएँ, सौर ऊर्जा उपयोग, गोबर गैस, धुआँ रहित चूल्हा तथा ईंधन वाले पेड़ों को उगाने की परियोजनाएँ शामिल हैं। इस कार्यक्रम में महिला स्वैच्छिक संगठनों को संलग्न किया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि विज्ञान और प्राविधिकी में महिलाओं को शामिल किया जायेगा तो उनके जीवन में नीरसता समाप्त हो जायेगी और जीवन आरामदायक हो जायेगा और कुछ समय भी बचेगा जिससे वह स्वयं का कुछ विकास कर सकें। इस दिशा में महिला स्वैच्छिक संगठनों को सक्रिय होने की आश्यकता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक शोध प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0ई0आर0टी0) ने महिला शिक्षा इकाईयों की स्थापना की है जिससे महिलाओं की शिक्षा के लिए शोध और शैक्षिक प्रशिक्षण पर नजर रखी जा सके। यह पाठ्यक्रमों में लिंग भेद तथा इसे समाप्त करने एवं अध्यापकों को महिलाओं के स्तर में परिवर्तन करने के लिए एक अभिकर्ता की भूमिका निभाने के लिए शोध में संलग्न है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई0सी0एस0एस0आर0) ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के स्तर पर दीर्घकालीन शोध कार्यक्रम प्रायोजित किया है–शिक्षा व्यवस्था में गृह प्रबन्ध क्षेत्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये कि वह घर के सदस्यों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो, श्रम की महत्ता प्रत्येक भूमिका में परिलक्षित होनी चाहिए जिससे पुरुष और महिलाएँ घर और घर के बाहर भिन्न भूमिकाओं के प्रति अध ीन मानने की धारणा को त्याग देना चाहिए इसका यह आशय है कि महिला और पुरूष दोनों को घर और घर के बाहर के काम दोनों के प्रति अर्पित होना चाहिए और राष्ट्र के विकास में दोनों (पुरुष और

महिला) का समान उत्तरदायित्व होना चाहिए। महिलाएँ स्वावलम्बी, स्वनिर्देशित, स्वतंत्र हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी एक योजना प्रारम्भ की है जिसमें विभिन्न विषयों के शोध कार्यक्रमों एवं शिक्षा में महिलाओं से सम्बन्धित प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है। AISHE की 2015–2016 की रिपोर्ट के अनुसार स्नातक स्तर पर 46.7% महिलाएँ है जबकि 53% पुरुष, जबकि चैण्क्ण में महिलाएँ 41% हैं।

AISHEE Report 2015-16

विषय	P.G. Level		Ph.D.	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
कला, मानविकी विषय	47.1%	52.9%	विभिन्न विषयों में बंट जाते हैं।	
विज्ञान	52.9%	47.1%	,,	,,
अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा	72%	28%	,,	,,
कम्प्यूटर	50.6%	49.4%	52.6%	47.4%
वाणिज्य	53.8%	46.2%	52.6%	47.4%
कृषि	67.7%	32.3%	66.2%	33.8%

तालिका से स्पष्ट है कि कला और मानविकी को छोड़कर महिलाएँ अन्य विषयों में पीछे हैं अर्थात् समाज अभी यह मानता है कि स्त्रियों की शिक्षा केवल घर परिवार के लिए होनी चाहिए। अन्य क्षेत्रों में वे बेहतर नहीं कर पायेंगी। महिलाएँ आत्म निर्भर हों, और समाज में उन्हें प्रतिष्ठा मिले इसके लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाये। महिलाओं को तकनीकी शिक्षा देने के कई लाभ होंगे जैसे गृह कार्यों में कार्यकुशलता और दक्षता के साथ–साथ महिलाएँ परिवार की आय में भी वृद्धि कर सकेंगी लेकिन इस मार्ग में कई बाधाएँ हैं। सामान्यतः महिलाओं के माँ बाप अपनी पुत्रियों को कला, गृह विज्ञान, नर्सिंग इत्यादि की शिक्षा देना पसन्द करते हैं विज्ञान और तकनीकी शिक्षा नहीं।

भारत में महिलाओं की शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित है। यह लिंग भेद से भी प्रभावित है। संवैधानिक प्रावधानों और पंचवर्षीय योजनाओं ने महिला शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज समाज में भी सभी परिवारों में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का शिक्षित होना अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि में माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं को निशुःल्क दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें करीबदृ करीब समानता प्राप्त हो रही है लेकिन अब भी बहुत दूर जाना है और इस बात की पूर्ण सम्भावना है

कि सामाजिक जागरूकता महिला शिक्षा में एक सकारात्मक योगदान देगी।

सुझाव– लगभग भारत की आधी जनसंख्या महिलाएँ हैं परंतु दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि लम्बे समय से वे उपेक्षा की शिकार रहने के कारण शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा से वंचित हैं। उनके लिए समान सामाजिक–आर्थिक समानता को नकारा जाता रहा है, और इस नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा है

महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए दो दृष्टिकोण आते हैं –

1. परम्परागत दृष्टिकोण मानता है कि उनको अच्छी पत्नी और माँ बनने के लिए शिक्षा आवश्यक है। यह विचारधारा मानती है कि वर्तमान शिक्षा उनके नित्य जीवन की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। यह दृष्टिकोण मानता है कि आधुनिक शिक्षित महिलाएँ ना ही खुश हैं और न ही सामाजिक रूप से उपयोगी हैं।
2. जबकि आधुनिक दृष्टिकोण मानता है कि शिक्षा महिलाओं को समानता दिलाने और उनके विकास के लिए एकमात्र साधन है। सैद्धान्तिक रूप से उच्च शिक्षा की आवश्यकता स्त्री व पुरुष दोनों को है परन्तु यदि गम्भीरता से देखें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का शिक्षित होना ज्यादा जरुरी है। अतः जरुरी है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ निम्नलिखित सुधार आवश्यक है –
   (i) आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति शुरु की जाए। वैसे कई राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
   (ii) परिवार और छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शित किया जाए। खासकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर।
   (iii) उच्च शिक्षा को कौशल विकास केन्द्रित बनाया जाए।
   (iv) महिलाओं के लिए गैर पारम्परिक पाठ्यक्रमों का विकास।
   (v) महिलाओं के लिए अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थान खोले जाएँ। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थाएँ खोली जाएँ।
   (vi) यातायात और सुरक्षा के साधन ज्यादा से ज्यादा विकसित किए जाएँ।
   (vii) उच्च शिक्षा स्तर शिक्षक और छात्र स्तर पर सह शिक्षा व सह शिक्षक व्यवस्था को बढ़ाया जाए। विशेषकर सह शिक्षा वाले संस्थाओं में महिला शिक्षकों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए।
   (viii) माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए।
   (ix) विवाह के कारण महिलाओं को बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के सरकार द्वारा कानूनी स्तर पर रोकने का प्रयास करना चाहिए।

और अन्ततः पुरुष प्रधान समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता आवश्यक रुप से है। तभी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

महिलाओं में साक्षरता में वृद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक है कि महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा

कार्यक्रम चलाए जाएँ। महिलाएँ उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकें इसलिए क्षेत्रीय विश्वविद्यालय भी खोले जायें, उनके लिए छात्रावास भी खोले जायें, महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए भी कई शिक्षण संस्थान खोले जायें, सभी शिक्षण संस्थाओं के अपने भवन होने चाहिए, प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष सुविधा होगी, प्रत्येक गाँव में एक पाठशाला हो और एक पुस्तकालय भी होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सांख्यिकी के अनुसार विश्व में 75 करोड़ जनता निरक्षर है जिनमें आधी महिलाएँ हैं, अतः प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि प्रौढ़ साक्षर करने का आशय होगा, सम्पूर्ण परिवार का मार्गदर्शन, संतान का मार्गदर्शन, परिवार प्रबन्ध इत्यादि है। वर्ष 1975 अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्तर में सुध ाार और उनको शिक्षा में अधिक अवसर देना था। यह मैक्सिको में प्रारम्भ हुआ जिनमें 130 देशों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधियों में एस0 कोचर प्रभाराव, मारग्रेट अल्वा, सकीना हसन और श्यामला पप्पू थी। इस सम्मेलन में इन महिलाओं ने कहा कि भारत में अधिकांश महिलाएँ निरक्षर हैं, गाँव में रहती हैं, और इन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद् ने महिलाओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर के कई सम्मेलन आयोजित किये और यह निर्णय लिया कि विवाह में धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए तथा उनके खाली समय का सदुपयोग उन्हें पढ़ाने लिखाने में करना चाहिए। 1971 में इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने एक समिति का भी गठन किया। महिलाओं के लिए कार्यान्वित की एक राष्ट्रीय योजना (छण्च्च्।ॅण्) ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है और उन्हें समान अवसर देने की भी आवश्यकता है। महिला शिक्षा में वृद्धि होने के बावजूद भी कुल जनसंख्या में शिक्षित महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात संतोषजनक नहीं है इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। कानून बनाने से यह कार्य नहीं हो सकता।

निष्कर्ष

भारतीय महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र एक लम्बा रास्ता तय किया है। यही कारण है कि घर तथा बाहर से बाहर भी जिम्मेदारपूर्ण परिस्थितियों में आज वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यदि तुलनात्मक अध ययन किया जाय तो हम पायेंगे कि शायद भारत वह अकेला देश होगा जहाँ महिलाओं ने उच्चस्तरीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान शालाओं में अध्यक्षीय पदों की शोभा बढ़ाई है। वे सर्वाधिक मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही है। हम उन्हें प्रधानमंत्री, मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रमुख, उपकुलपति, ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट की निदेशिका, आयकर अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय पुलिस अधिकारी, जल, वकील आदि की महत्वपूर्ण भूमिका को श्रेष्ठता पूर्वक कार्य करते हुए देख चुके है तथा निरन्तर प्रत्येक क्षेत्र में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता को देखा जा सकता है।

सन्दर्भ

1- Mary Frances Billington (**1925**): *"Women in India"* India Publisher London
2- Radha Kumar(**1993**): The History of doing, Catalog Publications Pvt. Ltd. New Delhi.

3- Rabindra Sen (**2009**): *" Women and Higher Education System"* Crescent Publishing House, New Delhi
4- Shilja Nagendra (**2007**): *"Issues in Women Education and Empowerment"* ABD Publishers, Jaipur
5- Khuswant Singh: *"Women Demand their Birth Rights",* III US Treated Weekly of India, 13 जुलाई, 1975, **पृष्ठ 20**
6. 1981 का जनसंख्या, शिक्षा विभाग वार्षिक प्रतिवेदन, 2000–01
7. भारतीयसंविधान, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद–45
8. 22 अगस्त 1997 के अमर उजाला में महेश रस्तौगी का लेख श्आज भी गिरवी है आदि आबादी की आजादीश।
9. जनवरी 2001 की मुक्ता पत्रिका में डॉ मनोज श्रीवास्तव का लेख श्बहुत कठिन है डगर पनघट कीश्से उद्धृत।
10. चयनित शैक्षिक सांख्यिक **2000-2001** शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. वर्ष **1999–2000** और **2000-2001** का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन।
12. संसदीय सलाहकार समिति प्रतिवेदन और सामाजिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली **2001**
13. रजिस्ट्रार तथा भारत का जनगणना आयुक्त : भारत की जनगणना **2001** सीरीज। इण्डिया पेपर 2 **2001**
14. सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90 ग्रन्थ 2 योजना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली, **2001**
15. भारत की जनगणना **2001**
16. N.P.A.W., *Institute of Applied Men Power Research*, नई दिल्ली।
17. Analytical Resports in International Education, Nov. **2011**
18. Desai, A.S. (**1999**) *"Women in Higher Education and National Development University*, News AIU, **Vol. 39, No. 9, March 1999.**
19. AISHEE Report **2015-16**